कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना (म.प्र.)

कमांक.328..../स्था./2026 मुरैना दिनांक–18/05/2026

//सूचना//

संविदा आधारित चार पहिया वाहन चालक पद हेतु विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के पत्र कमांक फा.नं. 337/स्था./राविसेप्रा/126/026 जबलपुर दिनांक 09.04.2026 के पालन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुदान अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना में बहुउपयोगी चार पहिया वाहन हेतु संविदा आधार पर 02 वर्ष की अवधि के लिए वाहन चालक के 01 पद पर इच्छुक उम्मीदवारों से ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है :–

1–आवेदन पत्र जमा करने की आरंभ तिथि–18.05.2026

2–आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि–18.06.2026

3–पदनाम, संख्या, व स्थान–

क.	जिले का नाम	पद का नाम	रिक्त पद की संख्या	न्यूनतम योग्यता	आयु	निर्धारित मानदेय
1	मुरैना	वाहन चालक	01	कक्षा–10वी उत्तीर्ण (मान्यता प्राप्त बोर्ड से) एवं (सभी प्रकार के वाहनो को चलाने के अनुभव सहित वैध ड्रायविंग लाइसेंस)	18 वर्ष 35 वर्ष तक (01.01.26 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण)	13000/– प्रतिमाह

नोट– योग्य मैकेनिक को वरीयता दी जावेगी।

अनु.जाति/अनु.ज.जाति/अ.पि.वर्ग/महिला उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जावेगी।

2. नियुक्ति की शर्ते :–

1–यह संविदा नियुक्ति अनुबंध प्रारंभ में 02 वर्ष की अवधि के लिये होगा, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन, अच्छे आचरण और निरंतरता की आवश्यकता के आधार पर तत्पश्चात एक वर्ष के लिए बढाया जा सकेगा। संविदा अवधि के पश्चात नियमित नियुक्ति या निरंतर सेवा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

2–संविदा वाहन चालक की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने या अन्य प्रशासनिक स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकेगी। संविदा वाहन चालक भी एक माह का पूर्व नोटिस देकर या एक माह के वेतन के बराबर राशि जमा किया जाकर त्यागपत्र दे सकेगा।

3–संविदा वाहन चालक के कार्यो की समीक्षा समय–समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जावेगी और संतोषजनक प्रदर्शन न किये जाने तथा अनुशासन के अनुरूप न पाये जाने पर अनुबंध की निरन्तरता या विस्तार किये जाने के संबंध में विचार किया जा सकेगा।

4–संविदा वाहन चालक की नियुक्ति की संपूर्ण कार्यवाही प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना के निर्देशानुसार की जावेगी।

5—संविदा वाहन चालक को एक कलेण्डर वर्ष में 13 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

3. चयन का मापदण्डः—

संविदा वाहन चालक की भर्ती निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता आधारित चयन प्रकिया के माध्यम से की जावेगी जिसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं व्यवहारिक ड्रायविंग परीक्षा सम्मिलित होगी।

4. आवेदन का प्रारूप प्राप्त करने की प्रकियाः—

उक्त विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना के सूचना पटल एवं https://morena.dcourts.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

5. आवेदन भरने की प्रकियाः—

सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी के साथ सभी प्रविष्टियों का अंकन करें ताकि संशोधन की आवश्यकयता उत्पन्न न हो। एक बार आवेदन कार्यालय में जमा कर दिए जाने के पश्चात किसी भी संशोधन की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथिः—

इच्छुक अभ्यर्थी विहित आवेदन को उचित ढंग से भरकर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना (म.प्र.) में व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 18.06.2026 को समय सायं 05:00 बजे तक जमा कर सकेंगे। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

7. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजः—

- शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)
- वैध ड्रायविंग लायसेंस (चार पहिया चालन हेतु) (स्वप्रमाणित प्रति)
- वाहन चालन का अनुभव प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित प्रति)
- पहचान पत्र (आधार कार्ड) (स्वप्रमाणित प्रति)
- मैकेनिकल योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र (यदि हो तो) (स्वप्रमाणित प्रति)

8. आवेदनों की जांच व चयन प्रकियाः—

अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों एवं दस्तावेजों की विहित नियमो के अनुसार जांच की जाएगी। जांच में यदि यह पाया जाता है कि आवेदन अपूर्ण है या उसमें दी गई जानकारी असत्य है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना को उक्त आवेदनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। आवेदनो की जांच उपरांत परीक्षा/साक्षात्कार के लिए पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना के सूचना पटल एवं https://morena.dcourts.gov.in पर जारी की जाएगी। पात्र अभ्यर्थियों को पूर्व सूचना देकर व्यवहारिक, साक्षात्कार व ड्रायविंग परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

उपरोक्तानुसार चार पहिया वाहन चालन हेतु संविदा वाहन चालक की भर्ती प्रकिया के दौरान यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होती है तो उक्त संशोधन शुद्धिपत्र के माध्यम से जिला न्यायालय मुरैना की आधिकारिक बेबसाईट व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना के सूचना पटल पर प्रकाशित किया जावेगा।

न्यायाधीश/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला—मुरैना म.प्र.

PHOTO

आवेदन पत्र

चार पहिया वाहन चालन, संविदा वाहन चालक हेतु

1. अभ्यर्थी का नाम.....

2. पिता/पति का नाम.....

3. जन्म तिथि.....

4. वर्ग(सामान्य/अ.पि.वर्ग/अनु.जा./अनु.ज.जा.).....

5. 01.01.2026 की स्थिति में आयु.....दिन.....माह.....वर्ष

6. वर्तमान पता.....

7. स्थाई पता.....

8. शैक्षणिक योग्यता–

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/संस्थान	उत्तीर्ण वर्ष	प्रतिशत

9. ड्राइविंग लाइसेंस विवरण–

लाइसेंस नम्बर	जारी तिथि	वैधता तिथि	जारीकर्ता प्राधिकारी

10. वाहन चलाने का अनुभव–

क्र.	संस्था का नाम	कार्य विधि	अनुभव (वर्ष/माह)

11. क्या आप शारीरिक रूप से सक्षम है अथवा नहीं.....

12. क्या आपको स्थानीय क्षेत्र की जानकारी है ?.....

13. यदि आवेदक के विरूद्व मोटर व्हीकल एक्ट या वाहन चालन के दौरान किसी दुर्घटना के संबंध में या अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है/वर्तमान में लंवित या निराकृत हो चुका है (उसका विवरण अपराध संख्या, प्रकरण का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जावे.....

.....

14 अन्य जानकारी (यदि कोई हो).....

संलग्न–दस्तावेज स्वप्रमाणित किए जावे।
शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
ड्रायविंग लाइसेंस।
पहचान पत्र।
अनुभव प्रमाण पत्र।अन्य।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम.....

//घोषणा//

मै शपथपूर्वक घोषण करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य एवं सही है। यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

दिनांक–
स्थान–

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम.....